



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज खान
Kadar Nawaz Khan
कार्यकारी कुलसचिव
Acting Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-251661
फैक्स / Fax : +91-7152-230903

क्रमांक : 34/2013-14/Quarter Allotment/29-03/308

दिनांक : 08 .09.2018

सूचना

विश्वविद्यालय के समस्त रहवासियों को सूचित किया जाता है कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 18011/2/2015-Pol.III दिनांक 29.06.2020 के आलोक में आवासों का लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

आवासों का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वर्तमान में लिया जा रहा लाइसेंस शुल्क	संशोधित लाइसेंस शुल्क (01.07.2020 से प्रभावी)
Type-III (C Quarter)	44 to 65	470.00	560.00
Type-IV (D Quarter)	59 to 91.5	640.00	750.00
Type-IV (Special) (Transit)	59 to 91.5	680.00	790.00
Type-VA	Upto 106	1190.00	1400.00
Type-VIA	Upto 159.5	-	1840.00

उक्त संशोधित दरें दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी होंगी।

MSEB/MSEDCL द्वारा दिनांक 01.04.2020 से घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली की दर में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:-

घरेलू (LT-1) Fixed Charge	यूनिट	0-100	101-300	301-500	501-1000	>1000
रु. 100/-	दर (रु.)	3.46	7.43	10.32	11.71	11.71

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत आवासों के लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरें दिनांक 01.07.2020 तथा MSEDCL द्वारा वृद्धि की गई बिजली की दरों को दिनांक 01.04.2020 से लागू किया जाता है। इसके कारण पूर्व के बिलों के अंतर को आगामी 03 महीनों में क्रमशः समायोजित किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सधन्यवाद।

प्रतिलिपि:

- माननीय कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ।
- वित्ताधिकारी
- प्रभारी, लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
- कुलसचिव कार्यालय
- संबंधित फाइल

कादर नवाज
(कुलसचिव)
08/09/2020